# वन संरक्षण नियम

## संदर्भ

MoEFCC ने हाल ही में नए वन संरक्षण नियम 2022 को अधिसूचित किया है। इसने 2003 के पहले के वन संरक्षण नियमों और 2004, 2014 और 2017 में इसके संशोधनों को निरस्त और प्रतिस्थापित किया है।

## प्रमुख बिंदु

• 2022 के वन संरक्षण नियमों को एक या अधिक सत्रों में 30 कार्य दिवसों के लिए संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना है।
• नए नियम समय-सीमा निर्धारित करते हैं जिसके भीतर एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए।
• यदि वन भूमि को किसी पहाड़ी या पहाड़ी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डायवर्ट किया जाना है, जिसके भौगोलिक क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक का वन कवर है, तो दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण किया जा सकता है, जिसमें वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से कम है।

## प्रासंगिक अधिनियम

• वन अधिकार अधिनियम 2006 ने शिकार को छोड़कर सभी वन अधिकारों (चाहे कानून में सूचीबद्ध हो या नहीं) को मान्यता दी और अवर्गीकृत वनों सहित सभी वन भूमि पर वनवासियों को, मौजूदा या मानित वनों,वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वनों सहित सभी वन अधिकारों को मान्यता दी और निहित किए।।
• वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में व्यवस्थित अनुमोदन और गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि को उपयोगकर्ता एजेंसियों को परिवर्तन , अनारक्षण और लीज के लिए सौंपने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है।

| पुराने नियम | नए नियम |
|---|---|
| • जब तक एफआरए 2006 (अभी भी चल रही प्रक्रिया) के तहत अधिकारों का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक वनों को परिवर्तित (डायवर्ट) नहीं किया जा सकता है।<br>• इसमें ग्राम सभा एनओसी प्राप्त करना शामिल है।<br>• केंद्र सरकार को वन भूमि को निजी परियोजनाओं को सौंपने के लिए मंजूरी देने। से पहले वनवासी समुदायों की सहमति लेने की आवश्यकता थी।<br>• पर्यावरण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय या राज्य वन क्षेत्र के विस्तार के आधार पर वन भूमि के उपयोग के सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई करेगा।<br>• पर्यावरण मंत्रालय तब इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति की सलाह पर विचार करेगा और प्रस्ताव पर निर्णय करेगा | • नए नियमों में किसी परियोजना के लिए वन भूमि को परिवर्तित (डायवर्ट) करने से पहले ग्राम सभा एनओसी प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।<br>• केंद्र द्वारा वन मंजूरी के लिए अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वे वन अधिकारों के निपटारे की अनुमति भी देते हैं।<br>• वन अधिकारों के निपटान और वनवासियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई।<br>• कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों को तेजी से मंजूरी के लिए निचले निकायों को सौंप दिया गया है<br>• जिन लोगों को अभी भी मंत्रालय की सलाहकार समिति से संपर्क करने की आवश्यकता है, वे संबंधित हैं:<br>➢ अनारक्षण<br>➢ खनन जिसमें 5 हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि शामिल है<br>➢ अतिक्रमण का नियमन<br>➢ वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन। |

# इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट (आईएस4ओएम)

## सन्दर्भ

केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरू में इसरो नियंत्रण केंद्र पर "सुरक्षित और सतत संचालन के लिए इसरो की प्रणाली" (आईएस4ओएम) का उद्घाटन किया

## प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय विकास के लिए इसके सतत उपयोग के लाभों को प्राप्त करते हुए बाहरी अंतरिक्ष की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कल्पना की गई है।
• यह एक बहु-डोमेन जागरूकता मंच है जो ऑन-ऑर्बिट टकराव विखंडन, वायुमंडलीय पुन: प्रवेश जोखिम अंतरिक्ष आधारित रणनीतिक सूचना खतरनाक क्षुद्रग्रह और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान पर त्वरित और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा।
• इसके हिस्से के रूप में, अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपचार, संयुक्त राष्ट्र के अनुपालन सत्यापन या अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति (आईएडीसी) दिशानिर्देशों के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

आईएडीसी

• यह पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे से संबंधित गतिविधियों के विश्वव्यापी तकनीकी/वैज्ञानिक समन्वय के लिए 13 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
• इसरो 1996 से इसके सदस्यों में से एक है।
• यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है।

केसलर सिंड्रोम

• परिचालन उपग्रहों और कक्षीय मलबे सहित अंतरिक्ष वस्तु की लगातार बढ़ती आबादी बाहरी अंतरिक्ष के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग के लिए एक गंभीर खतरा है।
• बड़े मलबे के बीच टकराव आगे की टक्करों की एक स्व-निरंतर कैस्केडिंग प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिसे केसलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।
• इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष मलबे की आबादी के घनत्व में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे बाहरी स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए दुर्गम हो जाएगा।

अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता

• यह सुविधा भारत को एसएसए (अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता) हासिल करने में भी मदद करेगी।
• सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के कई रणनीतिक निहितार्थ हैं जैसे:
  - निकट दृष्टिकोण के साथ अन्य परिचालन अंतरिक्ष यान की पहचान और निगरानी करना,
  - भारतीय क्षेत्र में ओवरपास होने के कारण,
  - संदिग्ध उद्देश्यों के साथ जानबूझकर युद्धाभ्यास
  - भारतीय क्षेत्र के भीतर पुन: प्रवेश

---

## सरफेसी अधिनियम 2002

संदर्भ

हाल ही में, बैंकों ने अपने बकाया राशि की वसूली के लिए दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता जीटीएल के खिलाफ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम लागू किया है।

सरफेसी अधिनियम के बारे में:

इसे वित्तीय संस्थानों को ऋण न चुकाने वालों से बचाने के लिए लाया गया था।

विशेषताएँ:

अपने अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए, इस कानून के तहत बैंक ऋण के खिलाफ गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, उनका प्रबंधन या बिक्री कर सकते हैं ताकि अदालती हस्तक्षेप के बिना बकाया की वसूली की जा सके।

प्रयोज्यता:

कानून पूरे देश में लागू है और ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में वादा की गई सभी चल या अचल संपत्तियों को कवर करता है।

कानून की आवश्यकता:

- कानून से पहले, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने खराब ऋणों की वसूली के लिए एक लंबा रास्ता तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
- ऋणदाता दीवानी अदालतों या नामित न्यायाधिकरणों में चूक वाले ऋणों की वसूली के लिए 'सुरक्षा हितों' के अधिकार के लिए अपील करेंगे
- जिससे ऋण वसूली को मुश्किल कर ऋणदाता की गैर-निष्पादित संपत्तियों में बढ़ोत्तरी करी।

कानून के तहत बैंकों की शक्ति:

- यह अधिनियम तब लागू होता है जब कोई उधारकर्ता अपने भुगतानों में छह महीने से अधिक समय तक चूक करता है।
- ऋणदाता तब उधारकर्ता को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस भेज सकता है।
- यदि ऐसा नहीं होता है, तो वित्तीय संस्थान को सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने, स्थानांतरित करने या प्रबंधित करने का अधिकार है।

अपील:

- इस बीच, चूककर्ता के पास ऋणदाता से नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कानून के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण को स्थानांतरित करने का सहारा होता है।

- सुप्रीम कोर्ट के 2020 के एक फैसले के अनुसार, सहकारी बैंक भी सरफेसी अधिनियम लागू कर सकते हैं।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) 20 लाख रुपये से अधिक के ऋण चूक मामलों में वसूली शुरू कर सकती हैं।

---

## अन्य महत्वपूर्ण खबरें

## बंधुआ गोदाम योजना

सन्दर्भ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने योजना के खुलेआम दुरुपयोग के मद्देनजर बंधुआ गोदाम योजना के तहत सौर डेवलपर्स को रियायतें रद्द कर दी हैं।

प्रमुख बिंदु

• कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस एक ऐसी सुविधा है जो आयातित, शुल्क देय तैयार और पूंजीगत वस्तुओं को भंडारण में रखती है।
• योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी दोनों को टाल दिया गया है।
• पूंजीगत वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए, बीसीडी और आईजीएसटी दोनों को तब तक के लिए टाल दिया जाता है जब तक कि उन्हें घरेलू खपत के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती।
• सोलर सेल पर 25% और सोलर मॉड्यूल पर 40% बीसीडी के भुगतान से बचने के लिए, कुछ डेवलपर्स पूरे सोलर प्लांट को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस घोषित कर रहे थे।

आस्थगित शुल्क भुगतान क्या है?

• यह शुल्क भुगतान और सीमा शुल्क निकासी को अलग करने का एक तंत्र है।
• यह 'क्लियर फर्स्ट-पे लेटर' के सिद्धांत पर आधारित है।
• इसका उद्देश्य वेयरहाउस ट्रांजिट के लिए एक निर्बाध स्थान बनाना है ताकि समय पर निर्माण की सुविधा मिल सके।

---

## डिजिटल घूमंतू

सन्दर्भ

इंडोनेशिया ने अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यात्रियों के लिए "डिजिटल घुमंतू वीजा" की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

• COVID-19 के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए घोषणा की गई है।
• डिजिटल खानाबदोश वे लोग हैं जो अलग-अलग जगहों की यात्रा करते समय दूर से काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे हैं।
• डिजिटल घुमंतू वीज़ा बाली सहित इंडोनेशिया में दूरदराज के कामगारों को कर-मुक्त रहने की अनुमति देगा।
• वीजा पांच साल के लिए लागू होगा।
• यह अन्य देशों की तुलना में इंडोनेशिया के वीज़ा को सबसे लंबे डिजिटल घुमंतू वीज़ा में से एक बना देगा।
• इंडोनेशिया का लक्ष्य अगले वर्ष के दौरान देश में 3.6 मिलियन से अधिक विदेशी यात्रियों को लाना है ताकि वे आध्यात्मिक वापसी के साथ-साथ इंडोनेशिया के पारिस्थितिक पर्यटन का पता लगा सकें।

अन्य देश

• इटली ने मार्च में गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों, या डिजिटल घुमंतू के लिए एक नया परमिट जारी किया, जो बिना वीजा के 90 दिनों तक देश में रह सकते हैं।
• एंटीगुआ और बारबुडा दो साल के लिए डिजिटल घुमंतू वीजा प्रदान करते हैं।
• बारबाडोस एक साल का रिमोट वर्किंग वीज़ा प्रदान करता है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
• घूमंतू वीजा देने वाले अन्य देश क्रोएशिया, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, मॉरीशस, नॉर्वे और स्पेन सहित कई अन्य देश हैं।

## IAC विक्रांत

### सन्दर्भ

हाल ही में, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC-1) ने समुद्री परीक्षणों के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

### प्रमुख बिंदु

- एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस महीने के अंत तक IAC-1 वितरित करने की योजना है।
- भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अगस्त में कमीशनिंग होने वाली है।

### IAC विक्रांत के बारे में

- भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया।
- इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में बनाया जा रहा है, जो जहाजरानी मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।
- स्वदेश निर्मित सबसे बड़े युद्धपोत IAC-1 की कुल लंबाई 263 मीटर और चौड़ाई 63 मीटर है।
- यह लड़ाकू जेट और हेलीकाप्टरों सहित 30 मिश्रित विमानों को ले जाने में सक्षम है।
- जहाज मिग-29के लड़ाकू विमान और विभिन्न हेलीकॉप्टरों का संचालन करेगा, जिसमें कामोव-31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, जल्द ही शामिल किए जाने वाले MH-60R

बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर MK III शामिल हैं।

## नॉर्ड स्ट्रीम 1

### सन्दर्भ

हाल ही में, रूस से जर्मनी की गैस का मुख्य स्रोत नॉर्ड स्ट्रीम 1, 10 दिनों के निर्धारित रखरखाव कार्य के लिए 11 जुलाई को बंद कर दिया गया था।

### प्रमुख बिंदु

- यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि रूस मॉस्को के खिलाफ लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों के जवाब में गैस आपूर्ति के अस्थायी निलंबन का विस्तार करेगा।

### नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बारे में

- इसका उद्घाटन नवंबर 2011 में हुआ था।
- यह एक 1,224 किमी पानी के भीतर गैस पाइपलाइन है जो उत्तर पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के रास्ते उत्तरपूर्वी जर्मनी में लुबमिन तक जाती है।
- इसका अधिकतर हिस्सा। रूसी ऊर्जा दिग्गज गज़प्रोम के स्वामित्व में है।
- पाइपलाइन प्राथमिक मार्ग है जिसके माध्यम से गैस जर्मनी में भेजी जाती है।
- यह सालाना 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन करता है, जिसमें से अधिकांश सीधे जर्मनी को जाता है।
- शेष पश्चिम और दक्षिण की ओर अन्य देशों के लिए तटवर्ती लिंक के माध्यम से और भंडारण गुफाओं में जाते हैं।
- जर्मनी रूस का सबसे बड़ा यूरोपीय गैस उपभोक्ता है, और इसका अधिकांश भाग नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से आता है।
- डॉयचे वेले के अनुसार, 2021 में रूसी गैस आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी 55% थी, और वर्तमान में यह 35% है।

## मच्छरों के लिए एक कृत्रिम आहार और आहार उपकरण

### सन्दर्भ

हाल ही में, पुडुचेरी में वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, ICMR ने मच्छरों को खिलाने के लिए चार प्रकार के कृत्रिम आहारों का आविष्कार किया है जो 'रक्त आहार' को एक अद्वितीय फीडर डिवाइस से बदल देगा।

### उपकरणों के बारे में

- दो उत्पाद प्रयोगशालाओं में मच्छरों के कुशल और लागत प्रभावी बड़े पैमाने पर पालन की अनुमति देते हैं।
- मादा मच्छरों के लिए तैयार किए गए ये चार आहार शिशु फार्मूला भोजन की तरह हैं।

• इनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो रक्त में मौजूद होते हैं।
• ये आहार भूखे मादा मच्छरों को भोजन स्वीकार करने, रक्त की तरह स्वाद लेने, स्वस्थ और व्यवहार्य अंडे का उत्पादन करने के लिए आकर्षित करेंगे, जो सामान्य अंडों की तरह पैदा होंगे , जब भी आवश्यक हो, प्रयोगशाला बड़े पैमाने मच्छरों की  स्वस्थ संतान का निर्माण कर सकती है।

महत्व:

- मादा मच्छर को अंडे देने के लिए पशु या मानव रक्त आहार की आवश्यकता होती है।
- इसके लिए ब्लड बैंक या जीवित जानवरों से रक्त लेना पड़ता है।
- ब्लड बैंकों से रक्त की नियमित आपूर्ति आसान नहीं है।
- इन चुनौतियों और भारी संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए, शोधकर्ताओं ने चार कृत्रिम आहारों को भोजन के लिए चुना है।
- इन मच्छरों को उनके जीव विज्ञान के बुनियादी पहलुओं की जांच करने और वेक्टर जनित रोग और इसे नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन करने के लिए स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है।
- मच्छर भक्षण उपकरण और आहार संरचना दोनों ही महान उपलब्धियां हैं और वेक्टर अनुसंधान के लिए समय की आवश्यकता है।

## भारत का रक्षा निर्यात

सन्दर्भ

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2017 और 2021 के बीच भारत के रक्षा निर्यात में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

• उस अवधि के दौरान यह ₹1,520 करोड़ से बढ़कर ₹8,435 करोड़ हो गया।
• निर्यात में निजी क्षेत्र का हिस्सा 70% था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का हिस्सा 30 % था।
• भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान 310 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों पर चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाया है।
• इन हथियारों और प्लेटफार्मों का अगले पांच से छह वर्षों में चरणों में स्वदेशीकरण किया जाएगा।

निर्यात किए गए आइटम:

भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे सैन्य हार्डवेयर में मिसाइल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, अपतटीय गश्ती जहाज, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर, निगरानी प्रणाली और विभिन्न प्रकार के रडार शामिल हैं।

भागीदार:

अमेरिका भारत के रक्षा निर्यात का प्रमुख खरीदार था। अन्य देश दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से थे।

हाल के प्रमुख सौदे:

• जनवरी 2022 में, भारत के ब्रह्मोस एयरोस्पेस और फिलीपींस ने लगभग 375 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
• दिसंबर 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मित्र देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम की बिक्री को अपनी मंजूरी दे दी।
• इसने सैन्य हार्डवेयर के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन के लिए एक उच्च शक्ति वाला पैनल भी बनाया।
• भारत ने 2024 तक 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare